

१८८०  
२०११

(1)

DD(See)  
10-5-11

राजस्थान सरकार  
शिक्षा(ग्रुप-1)विभाग

क्रमांक प. 14(4)शिक्षा-1 / करौली / 2014पार्ट

जयपुर, दिनांक २६.५.१७

॥ आदेश ॥

शिक्षा विभाग के अधीन संचालित कक्षा 6 से 10/12 के विद्यालयों में उनके आस-पास उसी स्थान पर संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को समन्वित कर कक्षा 1 से 10/12 के समन्वित (एकीकृत) विद्यालयों की स्थापना की गयी। जिन माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के परिसर में पर्याप्त स्थान उपलब्ध था एवं कक्षा 1 से 5/8 के विद्यार्थियों के लिये इन परिसरों में अध्ययन हेतु आना सुविधाजनक था, उन विद्यालयों में कक्षा 1 से 10/12 तक की समस्त कक्षाओं का संचालन एक ही परिसर में किया जा रहा है तथा अन्य समन्वित विद्यालयों में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन पृथक-पृथक भवनों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किया जा रहा है। परन्तु दोनों ही मामलों में समन्वित (एकीकृत) विद्यालय को एक ही प्रशासनिक इकाई मानते हुए संचालित किया जा रहा है। इस व्यवस्था के निम्नलिखित लाभ हुए हैं :-

- i. प्राथमिक कक्षाओं को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को समन्वित करने से इन कक्षाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक का हो गया। जिसके फलस्वरूप प्राथमिक कक्षाओं की बेहतर मॉनिटरिंग होने से विद्यार्थियों की शैक्षणिक स्तर में गुणात्मक सुधार हुआ है।
- ii. एकीकरण के फलस्वरूप इन विद्यालयों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में वर्ष 2015-16 में नामांकन में वृद्धि हुई है।
- iii. प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों का समग्र प्रशासनिक नियंत्रण समन्वित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के संरथाप्रधान के पास होने के फलस्वरूप शिक्षकों की उपरिथिति एवं शैक्षणिक कार्य में भी सुधार हुआ है।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय जो राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 10/12) के अत्यन्त निकट है उन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त छात्र संख्या उपलब्ध नहीं हो पाती है। जिसके कारण आरटीई के मानदण्डों के अनुसार अध्यापकों के पद स्वीकृत होने के बावजूद भी प्रत्येक

कक्षा हेतु पृथक शिक्षक की उपलब्धता भी संभव नहीं हो पाती है एवं शिक्षा की गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित होती है।

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक कम नामांकन वाले प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को ग्राम के निकटतम माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समन्वित करने हेतु निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर द्वारा प्रस्ताव तैयार कर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को प्रेषित किये गये। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा समन्वयन के प्रस्तावों की जाँच एवं परीक्षण उपरान्त इस विभाग को भिजवाये गये हैं।

निदेशालय माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर द्वारा स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने के लिए 0-15/30 नामांकन वाले कॉलम संख्या 6 में वर्णित विद्यालयों को कॉलम 5 में वर्णित विद्यालयों में समन्वित किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

#### 19ए एवं 20ए (0 से 15 नामांकन) करौली जिले के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समन्वयन प्रस्ताव

क्र.स.	पंचायत सभिति	ग्राम पंचायत/ न. पालिका का नाम	राजस्व गांव/ वार्ड नं.	एकीकृत राउमावि /रामावि का नाम	समन्वित विद्यालय
1	2	3	4	5	6
1	मण्डरायल	मोंगेपुरा	मोंगेपुरा	राउमावि मोंगेपुरा	राप्रावि मीणा ढाणी
2.	मण्डरायल	रानीपुरा	रानीपुरा	राउमावि रानीपुरा	राप्रावि माकेनपुर (रानीपुरा)
3.	नादाती	टिम्या	टिम्या	राउमावि टिम्या	राप्रावि रामसिंह राज की ढाणी टिम्या
4.	दाडाभीम	पडला खालसा	पडला	राउमावि पडला	राप्रावि दुड़ायली

#### 19बी एवं 20बी (0 से 30 नामांकन) करौली जिले के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समन्वयन प्रस्ताव

क्र. स.	पंचायत सभिति	ग्राम पंचायत/ न. पालिका का नाम	राजस्व गांव/ वार्ड नं.	एकीकृत राउमावि /रामावि का नाम	समन्वित विद्यालय
1	2	3	4	5	6
1	करौली	गुवरेन्डा	गुवरेन्डा	राउमावि गुवरेन्डा	राउप्रावि गालिरा
2	नादाती	भीलापाडा	भीलापाडा	राउमावि भीलापाडा	राउप्रावि वडकेसरी

19सी एवं 20सी (0 से 30 नामांकन) करौली जिले के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समन्वयन प्रस्ताव।

क्र. सं.	पंचायत सभिति	ग्राम पंचायत/ न. पालिका का नाम	राजस्व गांव/ वार्ड नं.	एकीकृत राजमावि /रामावि का नाम	समन्वित विद्यालय
1	2	3	4	5	6
1.	करौली	चैनपुर बरिया	चैनपुर बरिया	राजमावि चैनपुर बरिया	राजमावि बरिया
2	करौली	कैलादेवी	कैलादेवी	राजमावि कैलादेवी	राजमावि कैलादेवी
3.	नादौती	शहर	कस्बा शहर	रामावि कस्बा शहर	रामावि कस्बा शहर
4.	टोडार्भास	नंगल माडल	नंगल माडल	रामावि नंगल माडल	रामावि नंगल लाट

उपरोक्तानुसार समन्वित (एकीकृत) राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन निम्न दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा:-

- समाहित विद्यालय का पृथक से कोई प्रशासनिक अस्तित्व नहीं रहेगा एवं समन्वित (एकीकृत) उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय (समाहित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों सहित) का प्रशासनिक नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन रहेगा।
- एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक इन विद्यालयों के शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों के लिये पूर्ण रूप से अधिकृत एवं उत्तरदायी होंगे।
- एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में समाहित होने वाले प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की समर्त परिसम्पत्तियां यथा भूमि, भवन, खेल मैदान, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, रसायी एवं अस्थायी परिसम्पत्तियाँ, उपयोगी एवं अनुपयोगी सामग्री आदि का हस्तान्तरण समन्वित (एकीकृत) उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में स्थः ही हो जायेगा।
- एकीकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय की समर्त कक्षाएं (कक्षा 1 से 12 अथवा 1 से 10) यथा संभव एक ही भवन/परिसर में संचालित होंगी। यदि स्थान की अनुपलब्धता अथवा विद्यार्थियों की सुविधा की दृष्टि से समर्त कक्षाएं एक ही परिसर में संचालित किया जाना संभव न हो तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक से स्वीकृति प्राप्त कर कक्षाओं का संचालन पृथक-पृथक परिसरों में किया जा सकता है। परन्तु कक्षा 1 से 12/1 से 10 कक्षा के एकीकृत विद्यालय की प्रत्येक कक्षा केवल एक ही परिसर में संचालित होगी, अर्थात् एक कक्षा दो परिसरों में पृथक-पृथक संचालित नहीं होगी।
- एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में एकीकरण के उपरान्त कक्षा 1 से 12/1 से 10 संचालित होगी। यह व्यवस्था समान रूप से लागू होगी। उदाहरण के



- लिए अगर एकीकरण के अन्तर्गत कक्षा 9 से 12 के विद्यालय में 1 से 5 के विद्यालय को ही समाहित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी एकीकृत विद्यालय में कक्षा 6 से 8 में प्रवेश की व्यवस्था करते हुए 1 से 12 कक्षाएँ संचालित होगी।
- vi. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय यथासंभव एक पारी में संचालित होंगे विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में कक्षा—कक्ष की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में माध्यमिक शिक्षा निदेशक से स्वीकृति प्राप्त की जाकर विद्यालय का संचालन दो पारियों में किया जा सकेगा।
  - vii. एकीकरण से पूर्व उच्च माध्यमिक/माध्यमिक तथा उनमें समाहित होने वाले उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय के नाम किसी दानदाता/शहीद सैनिक/स्वतंत्रता सेनानी आदि के नाम से होने की स्थिति में एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय के नामकरण के संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक प. 11(40)शिक्षा-6/05/पार्ट दिनांक 11.2.2016 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
  - viii. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 22(6)शिक्षा-1/2002 दिनांक 30.4.2015 द्वारा जारी मानदण्डों के अनुसार स्वीकृत विद्यालयों के पदों की संख्या का निर्धारण कर माध्यमिक शिक्षा में अतिरिक्त पदों के सृजन एवं प्रारम्भिक शिक्षा में समाहित किये गये विद्यालयों के स्वीकृत पदों को समाप्त करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जावेगा। पदों के सृजन के पश्चात नवसृजित पदों को राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के उप नियम 6(D) के तहत भरे जाने की कार्यवाही की जावेगी।
  - ix. बिन्दु संख्या viii के अनुसार कार्यवाही सम्पादित होने तक समाहित किये गये प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक समन्वित (एकीकृत) विद्यालय में यथावत कार्य करते रहेंगे एवं उनके वेतन का आहरण पूर्वानुसार पंचायतीराज/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से होता रहेगा।
  - x. समस्त एकीकृत विद्यालयों का संचालन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्र क्रमांक शिविरा—माध्य/मा/अ—1/आदर्श बी/21312/वो—112014 दिनांक 12.2.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।
  - xi. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद एवं निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर उपरोक्तानुसार विद्यालयों के समन्वयन के आधार पर शाला दर्पण/शाला दर्शन में आवश्यक प्रविष्टि का कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।**


आज्ञा से,

(राम स्वरूप झालानी)  
शासन उप सचिव, प्रथम

(3)

**प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री, (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
7. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
8. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
10. निदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर।
11. संभागीय आयुक्त,
12. जिला कलदटर,
13. संयुक्त / वरिष्ठ / उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा / आयोजना / शिक्षा (ग्रुप-2, 5, 6)
14. शिक्षा उपनिदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक, संभाग
15. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक / माध्यमिक(प्रथम / द्वितीय)
16. रक्षित पत्रावली।



8/8/2011  
B.K. Gupta

(बी.के.गुप्ता)  
विशेषाधिकारी—शिक्षा